

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आ दे श

क्रमांक सी/6484 /
(तीन-18-1/2024)

जबलपुर, दिनांक 05 सितम्बर, 2024

(ए) प्रशासकीय अत्यावश्यकता के दृष्टिगत् राज्य की न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये प्रशासनिक अधिकारी को उसी हैसियत से स्थानांतरित कर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी	खण्डवा	भोपाल	रिक्त पद पर।

(बी) राज्य की न्यायिक जिला स्थापनाओं पर पदस्थ नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये प्रशासनिक अधिकारियों को उनके स्वयं के अस्यावेदन तथा व्यय पर उसी हैसियत से स्थानांतरित कर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री जयराम प्रसाद पाण्डेय	हरदा	बैतूल	रिक्त पद पर
2	श्री शैलेन्द्र जोशी	इंदौर	शाजापुर	श्री महेन्द्र कुमार सोनी के स्थान पर।
3	श्री महेन्द्र कुमार सोनी	शाजापुर	इंदौर	श्री शैलेन्द्र जोशी के स्थान पर।

(सी) जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना पर पदस्थ नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक-(2) में दर्शाये गये उप-प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के पद पर, सांतवे वेतनमान के अंतर्गत लेवल-12 के वेतनमान रूपये 56,100—1,77,500 रूपये में की जाकर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी

निर्दल निवारण
१५ अक्टूबर २०२३

वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाती है :—

क्र.	उप-प्रशासनिक अधिकारी का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री संजय कुमार नामदेव	उज्जैन	खण्डवा	श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी के स्थान पर।

(डी) राज्य की न्यायिक जिला तथा कुटुम्ब न्यायालय की स्थापनाओं पर पदस्थ नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये उपप्रशासनिक अधिकारियों को उनके स्वयं के अभ्यावेदन तथा व्यय पर उसी हैसियत से स्थानांतरित कर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	उपप्रशासनिक अधिकारी का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री आलोक भटनागर	कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर	मुरैना	रिक्त पद पर।
2	श्री बसंत कुमार शाक्या	धार	कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल	श्री हरिओम वकावले के स्थान पर।
3	श्री हरिओम वकावले	कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल	धार	श्री बसंत कुमार शाक्या के स्थान पर।

(ई) राज्य की न्यायिक जिला तथा कुटुम्ब न्यायालय की स्थापनाओं पर पदस्थ नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक—(2) में दर्शाये गये लेखापालों की पदोन्नति उप-प्रशासनिक अधिकारी के पद पर, सांतवे वेतनमान के अंतर्गत लेवल—9 के वेतनमान रूपये 36,200—1,14,800 रूपये में की जाकर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर

११०७/२०२१

उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाती है :—

क्र.	लेखापाल का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री गलीराम सिंह मरावी	कुटुम्ब न्यायालय, अनूपपुर	सीधी	रिक्त पद पर।
2	श्री गिरधारी मोहबे	कुटुम्ब न्यायालय, हरदा	कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर	श्री आलोक भट्टनागर के स्थान पर।

(एफ) श्री अजीत गोयल, प्रशासनिक अधिकारी, नर्मदापुरम का स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण किये जाने संबंधी अभ्यावेदन, विचारोपरांत **निरस्त** किया जाता है।

(जी) राज्य की न्यायिक जिला स्थापनाओं पर पदस्थ निम्नलिखित उपप्रशासनिक अधिकारियों के स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण किये जाने संबंधी अभ्यावेदन, विचारोपरांत **आस्थगित** रखे जाते हैं :—

क्रमांक	उपप्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
1	श्री राहुल जैन	आगर-मालवा
2	श्री सुनील कुमार चौरसिया	रीवा

(एच) श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर, सीहोर का स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण किये जाने संबंधी अभ्यावेदन, विचारोपरांत **निरस्त** किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार



Trilok Singh Chauhan
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)
(R.S.)

पृष्ठ. सी/6485 /
(तीन-18-1/2024)

जबलपुर, दिनांक **05** सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि :-

(1)

- (i) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश; खण्डवा, भोपाल, हरदा, बैतूल, इंदौर, शाजापुर, उज्जैन, मुरैना, धार, सीधी, नर्मदापुरम, आगर-मालवा, रीवा, सीहोर,
- (ii) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय; अशोकनगर, बैतूल, अनूपपुर, हरदा, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि आपकी पदस्थापना से स्थानांतरित कर्मचारियों को उक्त आदेश की प्रति प्रदान कर अपनी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर निर्देश देवें कि वे नवीन पदस्थापना पर **दिनांक 20.9.2024** तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यह भी अनुरोध है कि जिन कर्मचारीगण के स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन निरस्त किये गये हैं अथवा आस्थगित रखे गये हैं, को अभ्यावेदन निरस्त किये जाने अथवा आस्थगित रखे जाने की सूचना प्रदान करें एवं स्थानांतरित कर्मचारियों को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रजिस्ट्री को अवगत करावें।
- (2) डिप्टी रजिस्ट्रार, जिला स्थापना अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



[कृतुराज सिंह चौहान]
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

* * * *